

दिनांक:- 13.03.2018 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में आयोग कार्यालय में एप से संबंधित पहली बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति

1. श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
2. श्री रामकरण रंजन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
3. श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
4. डॉ० रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
5. श्री राजेश रमानी, प्रतिनिधि, जेसैक, झारखण्ड, राँची।

बैठक में जेसैक के प्रतिनिधि से राज्य खाद्य आयोग का परिचय कराया गया एवं निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

1. जन वितरण प्रणाली में निम्न समस्याएँ मुख्य हैं:-

- (क) कार्डधारियों के नाम कट जाने पर पुनः जोड़ना
 - (ख) राशन नहीं मिलना
 - (ग) राशन कम मिलना,
 - (ग) राशन कार्ड नहीं बनना,
 - (घ) जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा राशन देने हेतु अधिक पैसों की मांग करना।
- अतः निर्णय लिया गया कि इन समस्याओं के निदान हेतु ऐप बनाया जाय।

2. विभाग के आहार पोर्टल से श्री राजेश रमानी अच्छी तरह से अवगत हो लें। आहार पोर्टल को इस ऐप से लिंक किया जायेगा।
3. P.G.M.S सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, 80 प्रतिशत सफलता दिखाया जाता है, किन्तु वास्तव में सफलता 20 प्रतिशत है। P.G.M.S का Auto closer उचित नहीं है। P.G.M.S को भी ऐप से जोड़ा जायेगा।
4. P.G.M.S के श्री रितेश चन्द्र गुप्ता से श्री रमेश रमानी को संपर्क करने का निदेश दिया गया।
5. ऐप का होस्ट जैप० आई० टी० के मुख्य सर्वर पर किया जायेगा।

6. जन वितरण प्रणाली के दुकानदार की भी कई प्रकार की समस्याएँ हैं, समस्याओं का समाधान करने का निर्णय लिया गया।
7. झारखण्ड में निगरानी समितियाँ राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/पंचायत स्तरीय एवं वार्ड स्तरीय है। इसमें मुखिया एवं अन्य लोगों के द्वारा आयोग कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाने का निर्णय लिया गया।
8. आयोग एक वेब पोर्टल बना रहा है। इसकी अगली बैठक में श्री रमेश रमानी को भी आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

9. खाद्य आयोग को 3 विभागों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना है, इसके लाभुक निम्न प्रकार हैं:-

(क) समाज कल्याण विभाग

- (i) गर्भवती महिलाएँ
- (ii) धात्री महिलाएँ
- (iii) 6 वर्ष तक के शिशु (ऑगनबाड़ी केन्द्र)

(ख) मानव संसाधन विभाग

- (i) 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के छात्र – छात्राएँ

(ग) खाद्य आपूर्ति विभाग

- (i) राशन कार्डधारी

10. ऐप में उक्त लाभुकों के अतिरिक्त निम्न श्रेणी के व्यक्ति भी User होंगे:-

(क) Service Providers

- (i) विभागीय अधिकारी/कर्मचारी गण
- (ख) जन वितरण दुकानदार/Packed Food/खाद्य सामग्री आपूर्तिकर्ता
- (ग) जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता
- (घ) राज्य खाद्य निगम/भारतीय खाद्य निगम
- (ङ) निगरानी समितियों के अध्यक्ष (मुखिया/वार्ड मेम्बर)

इस प्रकार कुल 6 श्रेणी के User साथ ही 3 विभाग शामिल हैं। तदनुसार मोटे तौर पर कुल 18 Sections होंगे। सभी Sections आधारित ऐप विकसित करने में बहुत समय लगेगा। अतः ऐप

पहले खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 6 पैरामीटर पर विकसित किया जाय। अन्य विभागों को क्रमानुसार जोड़ा जायेगा।

ऐप में विभिन्न विभागों के समन्वय (Coordination) का बिन्दु महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान समय में इस प्रकार के Coordination convergence का सर्वथा अभाव है। हर विभाग के अधिकारी अलग – अलग कार्य करते हैं। जबकि सभी कार्यक्रम के लाभुक एक व्यक्ति हैं।

उक्त विभागों में कुछ ऐप/वेब पोर्टल/Public Grievance व्यवस्था पूर्व में संचालित हैं। इन सभी को यह ऐप Interrogate करने का प्रयास करेगा।

श्री राजेश रमानी से अनुरोध है कि आहार पोर्टल के शिवानी कोड़ा एवं P.G.M.S के संचालक श्री रितेश गुप्ता से संपर्क कर वाकिफ होते हुए इन सुविधाओं को लागू करने का प्रयास करेंगे।

ऐप के प्रबन्ध हेतु PMO का प्रस्ताव श्री राजेश रमानी देंगे।

इसकी अगली बैठक अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होगी।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/—
(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

ज्ञापांक:— रा0खा0आ0 (बैठक) 02/2018 — 175

राँची, दिनांक:— 19.03.18

प्रतिलिपि:— मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
(मदन मोहन पति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

ज्ञापांक:— रा0खा0आ0 (बैठक) 02/2018 — 175

राँची, दिनांक:— 19.03.18

प्रतिलिपि:— प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, जेशैक, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस कार्य में सहयोग हेतु एक नोडल ऑफिसर नामांकित करने की कृपा करें।

ह0/—

(मदन मोहन पति त्रिपाठी)

विशेष कार्य पदाधिकारी,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,

राँची।

ज्ञापांक:— रा0खा0आ0 (बैठक) 02/2018 — 175

राँची, दिनांक:— 19.03.18

सचिव, आई0टी0/निदेशक, जेशैक को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

ह0/—

(मदन मोहन पति त्रिपाठी)

विशेष कार्य पदाधिकारी,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,

राँची।

ज्ञापांक:— रा0खा0आ0 (बैठक) 02/2018 — 175

राँची, दिनांक:— 19.03.18

श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची/श्री रामकरण रंजन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची/श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची/डॉ0 रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

(मदन मोहन पति त्रिपाठी)

विशेष कार्य पदाधिकारी,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,

राँची।

ज्ञापांक:— रा0खा0आ0 (बैठक) 02/2018 — 175

राँची, दिनांक:— 19.03.18

श्री राजेश रमानी, जेशैक, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

(मदन मोहन पति त्रिपाठी)

विशेष कार्य पदाधिकारी,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,

राँची।